



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563]
No. 563]नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 2003/आषाढ़ 3, 1925
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 2003/ASHADA 3, 1925

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2003

का.आ. 725(अ).— भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का0आ0 114 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा तटीय क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने और उनके विस्तार, प्रचालनों और प्रक्रियाओं पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे; और केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के यातायात की भीड़ को कम करने हेतु ट्रांस-हारबर सी लिंक के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया है ।

और केन्द्र सरकार ने तटीय विनियमन क्षेत्रों में स्थित पर्यटन परियोजनाओं और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप, जिसे उक्त संघ शासित क्षेत्रों में कई द्वीपों समूहों में से सीमित चौड़ाई की विशेषता को ध्यान में रखते हुए संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्वास से होने वाले अपशिष्टों और उत्सर्जनों के शोधन और शोधित अपशिष्टों और उत्सर्जनों के निपटान हेतु सुविधाएं स्थापित करने के संबंध में भी विचार किया है ।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन किया जाना आवश्यक और लोक हित में समीचीन है ।

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) में यह उपबंध है कि उक्त नियम के उप-नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी जब कभी केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है तो वह उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी ।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन हेतु उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभियुक्ति देना लोकहित में है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम 3 और (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, उपपैरा (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा को प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :-

(iv) निम्नलिखित के लिए अपेक्षित सुविधाओं के अतिरिक्त अपशिष्टों और बहिस्रावों के निपटान के लिए इकाईयों अथवा तंत्र का गठन और विस्तार:-

(क) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अन्तर्गत अनुमोदन के साथ जलमार्ग में शोधित बहिस्रावों का निस्तारण;

(ख) तूफानी जल नाले;

(ग) तटीय विनियमन क्षेत्र-1 से भिन्न तटीय विनियमन क्षेत्र में स्थित होटलों और बीच रिसोर्टों से बहनेवाले अपशिष्टों और बहिस्रावों का शोधन और शोधित अपशिष्टों एवं बहिस्रावों का निपटान;

(घ) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के संघ शासित प्रदेशों में घरेलू अथवा नगरीय मलजल का शोधन और शोधित बहिस्रावों का निपटान; 1

2. उक्त अधिसूचना में, अनुबंध 1 में, पैरा 6 में, उपपैरा (2) में,-

(i) शीर्षक तटीय विनियमन क्षेत्र-1 के अन्तर्गत-

(क) शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के लिए "और (घ) चक्रवातीय गतिविधि की निगरानी और भारतीय मौसम विभाग द्वारा भविष्यवाणी के लिए मौसम राडार की स्थापना, को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(घ) चक्रवातीय गतिविधि की निगरानी और भारतीय मौसम विभाग द्वारा भविष्यवाणी के लिए मौसम राडार की स्थापना; और

(ड.) ट्रांस-हार्बर सी-लिकों का निर्माण।";

(ख) शब्द, कोष्ठक और अक्षर के साथ शुरू होनेवाले भाग "और (च) अधिसूचित पत्तन शब्दों के साथ समाप्त होनेवाले भाग को, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(च) अधिसूचित पत्तनों के भीतर खाद्य तेल, उर्वरक और खाद्य पदार्थों जैसे अपरिसंकटमय कार्गो का भंडारण;

(छ) ट्रांस-हार्बर सी लिको का निर्माण।

(ii) शीर्षक तटीय विनियमन क्षेत्र-iv के अन्तर्गत :-

(क) "अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह" उपशीर्षक के अन्तर्गत, खण्ड (iग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड को जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"(1घ) होटलों एवं बीच रिसोर्टों और घरेलू मलजल से निकले अपशिष्टों और बहिस्रावों के शोधन के लिए सुविधाएं स्थापित करना और पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन के लिए विस्तृत

वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित तटीय विनियमन क्षेत्र-1 से भिन्न क्षेत्रों में शोधित अपशिष्टों और बहिस्रावों का निपटान।" ;

(ख) खण्ड (iग) के बाद उपशीर्षक "लक्षद्वीप और छोटे द्वीपों के अन्तर्गत, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"(1घ) होटलों एवं बीच रिसोर्टों और घरेलू मलजल से निकले अपशिष्टों और बहिस्रावों के शोधन के लिए सुविधाएं स्थापित करना और पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन के लिए विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित तटीय विनियमन जोन-1 से भिन्न क्षेत्रों में शोधित अपशिष्टों और बहिस्रावों का निपटान।"

[फा. सं. एच-11011/6/97-आई ए-III]

डॉ. वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 1991 के संख्या का.आ. 114(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित के तहत संशोधित की गई।

- (i) का.आ. 959(अ) दिनांक 18 अगस्त, 1994
- (ii) का.आ. 73(अ) दिनांक 31 जनवरी, 1997
- (iii) का.आ. 494(अ) दिनांक 9 जुलाई, 1997
- (iv) का.आ. 334(अ) दिनांक 20 अप्रैल, 1998
- (v) का.आ. 873(अ) दिनांक 30 सितम्बर, 1998
- (vi) का.आ. 1122(अ) दिनांक 29 दिसम्बर, 1998
- (vii) का.आ. 998(अ) दिनांक 29 सितम्बर, 1999
- (viii) का.आ. 730(अ) दिनांक 4 अगस्त, 2000
- (ix) का.आ. 900(अ) दिनांक 29 सितम्बर, 2000
- (x) का.आ. 329(अ) दिनांक 12 अप्रैल, 2001
- (xi) का.आ. 988(अ) दिनांक 3 अक्टूबर, 2001
- (xii) का.आ. 550(अ) दिनांक 21 मई, 2002
- (xiii) का.आ. 1100(अ) दिनांक 19 अक्टूबर, 2002
- (xiv) का.आ. 52(अ) दिनांक 16 जनवरी, 2003
- (xv) का.आ. 460(अ) दिनांक 22 अप्रैल, 2003
- (xvi) का.आ. 635(अ) दिनांक 30 मई, 2003
- (xvii) का.आ. 636(अ) दिनांक 30 मई, 2003

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2003

S.O. 725(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.114(E), dated the 19th February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared coastal stretches as Coastal Regulation Zone (CRZ) and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas the Central Government has considered the proposal of the Government of Maharashtra with regard to construction of trans-harbour sea links for the purpose of decongestion of traffic;

And whereas the Central Government has also considered a proposal with regard to setting up of facilities for treatment of wastes and effluents and disposal of treated wastes and effluents arising from tourism projects located in the Coastal Regulation Zone areas and settlements in the Union territories of the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep having special regard to the limited width of many of the Islands in the said Union territories;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that notwithstanding anything contained in sub-rule (3) of the said rule, whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirements of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

AMENDMENTS

1. In the said notification, in paragraph 2, for sub-paragraph (iv), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(iv) setting up and expansion of units or mechanism for disposal of wastes and effluents, except facilities required for-

- (a) discharging treated effluents into water course with the approval under the Water (Prevention and Control of Pollution Act, 1974 (6 of 1974);
- (b) storm water drains;
- (c) treatment of wastes and effluents arising from hotels and beach resorts located in Coastal Regulation Zone areas other than Coastal Regulation Zone -I and disposal of the treated wastes and effluents;
- (d) treatment of domestic or municipal sewage in the Union territories of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep and disposal of the treated effluents;”.

2. In the said notification, in Annexure I, in paragraph 6, in sub-paragraph (2), -

(i) under the heading CRZ-1,-

(a) for the words, brackets and letters “and (d) installation of weather radar for monitoring of cyclone movement and prediction by Indian Metrological Department”, the following shall be substituted, namely:-

“(d) installation of weather radar for monitoring of cyclone movement and prediction by the Indian Metrological Department; and

(e) construction of trans-harbour sea-links.”;

(b) for the portion beginning with the word, brackets and letter “and (f)” and ending with the words “notified ports”, the following shall be substituted, namely:-

“(f) storages of non-hazardous cargo such as edible oil, fertilizers and food grain within notified ports;

(g) construction of trans-harbour sea links.”

(ii) under the heading CRZ-IV,-

(a) under the sub-heading “Andaman and Nicobar Islands”, after clause (ic), the following clause shall be inserted, namely:-

“(id) setting up of facilities for treatment of wastes and effluents arising from hotels and beach resorts as well as domestic sewage and disposal of the treated wastes and effluents in areas other than Coastal Regulation Zone-I based on a detailed scientific study to assess the environmental impact thereof.”;

(b) under the sub-heading “Lakshadweep and small Islands”, after clause (ic), the following clause shall be inserted, namely:-

“(id) setting up of facilities for treatment of wastes and effluents arising from hotels and beach resorts as well as domestic sewage and disposal of the treated wastes and effluents in areas other than Coastal Regulation Zone-I based on a detailed scientific study to assess the environmental impact thereof.”.

[F. No. H-11011/6/97-IA.-III]

Dr. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O.114(E) dated the 19th February, 1991 and subsequently amended *vide*-

- (i) S.O.595 (E) dated the 18th August, 1994;
- (ii) S.O.73 (E) dated the 31st January, 1997;
- (iii) S.O.494 (E) dated the 9th July, 1997;
- (iv) S.O.334 (E) dated the 20th April, 1998;
- (v) S.O.873 (E) dated the 30th September, 1998;
- (vi) S.O.1122 (E) dated the 29th December, 1998;
- (vii) S.O.998 (E) dated the 29th September, 1999;
- (viii) S.O. 730(E) dated the 4th August, 2000;
- (ix) S.O. 900(E) dated the 29th September, 2000;
- (x) S.O.329 (E) dated the 12th April, 2001;
- (xi) S.O.988 (E) dated the 3rd October, 2001;
- (xii) S.O.550 (E) dated the 21st May, 2002;
- (xiii) S.O.1100(E) dated the 19th October, 2002;
- (xiv) S.O.52(E) dated the 16th January, 2003;
- (xv) S.O.460 (E) dated the 22nd April, 2003;
- (xvi) S.O.635(E) dated the 30th May, 2003;
- (xvii) S.O.636(E) dated the 30th May, 2003.